# न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

अपील संख्या–395 / 2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022 / 504

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस् |
|---|---|---|
| मैसर्स जनहित सेवा संस्थान, पित्ती धर्मशाला के सामने, रेल्वे स्टेशन नागौर तहसील व जिला नागौर राज0 जरिये प्रोपराईटर भगवानाराम ताण्डी पुत्र श्री अन्नाराम ताण्डी जाति जाट निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर, राज0 मो.नं. 9414118679 | | राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नागौर जरिये प्रबंधक कार्यालय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम नागौर / उपापन समिति, विनायक कोलोनी रेल्वे स्टेशन के पिछे नागौर तहसील व जिला नागौर राज0। |

उपस्थितः–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा एडवोकेट।

## निर्णय

दिनांक 30-01-2023

अपीलांट ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38 के तहत जिला उपापन समिति जिसमें प्रबन्धक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नागौर, द्वारा अपीलान्ट फर्म की प्राप्त ऑनलाईन निविदा को गठित कमेटी जिला उपापन समिति द्वारा दिनांक 22.11.2022 को खोली गई, जिसमें दस्तावेजों के जॉच मूल्यांकन में कमियां पाई जाने के कारण जिला उपापन समिति द्वारा अपीलान्ट फर्म तकनीकी रूप से असफल पाई जाने की सूचना निरस्त की सूचना पत्र कमांक–1163–1165 दिनांक 08.12.2022 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलांट फर्म मैसर्स जनहित सेवा संस्थान, पित्ती धर्मशाला के सामने, रेल्वे स्टेशन नागौर विधिवत पंजीकृत फर्म है जिसका प्रोपराईटर / मालिक भगवानाराम ताण्डी पुत्र श्री अन्नाराम ताण्डी जाति जाट निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर है जो उक्त फर्म के नाम से व्यवसाय करते है। फर्म के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता मैसर्स जनहित सेवासंस्थान, पित्ती धर्मशाला के सामने, रेल्वे स्टेशन नागौर राज0 है। दिनांक 20.10.2022 को राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर ने नागौर जिले में निगम द्वारा निर्दिष्ट गंतव्य पर पी.डी.एस. के तहत खाद्यान और चीनी के परिवहन के सम्बन्ध में ई–बोली सुचना जारी की थी। उक्त निविदा प्रक्रिया को तकनीकी बोली के साथ साथ वित्तीय बोली के रूप में दो चरणों में पुरा किया जाना था। पूर्वाक्त ई बोली जारी करते समय निगम ने उक्त निविदा प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों व शर्तो को भी विज्ञापित किया है और एन.आई.टी. के नियमों और शर्तो के अनुसार बोली ई–प्रोक में जमा की जानी थी।

उक्त एन.आई.टी. के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट है कि उक्त एन.आई.टी. जारी करते समय निगम ने निविदा प्रक्रिया के अन्य नियमों व शर्तो के साथ कुछ नियमों व शर्तो का उल्लेख किया है। अपीलांट फर्म ने उक्त ई–बोली के लिए पात्र होने के कारण जिला नागौर के लिए वित्तीय बोली के



कलक्टर नागौर

रूप में तकनीकी बोली जमा करते हुऐ आवेदन किया और निविदा की उपरोक्त बोली प्रक्रिया के अनुसरण में अपीलांट फर्म ने उक्त निविदा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुऐ सभी आवश्यक व प्रासंगिक दस्तावेज भी संलग्न किये थे। बोली प्रक्रिया और राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि0 को सरकार के https:/eproc-rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑन लाईन निविदा प्रपत्र मय दस्तावेजात के जमा करवाया। अपीलांट फर्म ने आवश्यक शुल्क के साथ साथ बोली प्रपत्र शुल्क के रूप में 5000रू. व प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1000रू. की राशी जमा हुई है। बोली दस्तावेजो के साथ बिडसिक्योरिटी के संबंध में शपथ पत्र भी संलग्न किया गया। यह है कि अपीलांट फर्म की उक्त तकनीकी बोली व दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलकर्ता फर्म ने हस्ताक्षर करते समय आवश्यक दस्तावेजो के साथ तकनीकी बोली अपलोड की है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि नागौर जिले के पी.डी.एस. के तहत खाद्यान और चीनी के लिए परिवहन कार्य के लिए निविदा आमंत्रित होकर नोटिस के अनुसरण में कुल चार बोलीदाताओ ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया था।

अपीलांट फर्म ने उक्त निविदा के अनुसरण में आवेदन किया था और सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर जमा करवा दिये थे। तकनीकी बोली मुल्यांकन सारांश सभी बोलीदाताओं की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम/उपापन समिति द्वारा आवश्यक पात्रता मानदण्ड के अनुसार तैयार किया गया था और ई–प्रोक पर निर्धारित समयावधि में अपलोड़ किया गया था। जिला उपापन समिति ने कुछ छोटी छोटी आपतियों के साथ अपीलांट की तकनीकी बीडी/बोली को अस्वीकार करने के संबंध में सुचना जारी की है जिसे निगम/उपापन समिति द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार हल किया जा सकता है। अपीलांट फर्म के दस्तावेजों के संबंध में जांच मुल्यांकन में कमियां बता कर अपीलांट फर्म को तकनीकी बीड (बोली) में असफल रहने का आदेश 8.12.2022 को पारित कर दिया। जबकि अपीलांट फर्म द्वारा निगम व विभाग द्वारा ई–निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजो को प्रस्तुत किया था व सभी नियमों व शर्तों को पुरा किया था।

श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल मारूति इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर है और भास्कर इण्डस्ट्रीज की मालिक मीनादेवी, दोनो आपस में पति पत्नी है तथा मीनादेवी के परिचय पत्र में मोबाईल नम्बर 9414082094 है तथा सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के परिचय पत्र में भी यही मोबाईल नम्बर अंकित है। मारूति इण्डस्ट्रीज की तकनीकी बोली में एफ.आई.टी. घोषित करने से पहले उपापन समिति द्वारा इनकी जांच नहीं की गयी।

अपीलांट का विनम्रतापूर्वक निवेदन व आपति है कि पुरी बोली प्रक्रिया जिसमें निगम/ उपापन समिति ने बहुत ही मनमाने ढंग से भेदभावपूर्ण व अवैध तरीके से कार्य किया है ताकि मनचाहे लोगो को लाभ देने के लिए व मारूति इण्डस्ट्रीज झुन्झुनू को फायदा पहुँचाने के लिए चार फर्मों में से तीन फर्मों को तकनीकी बोली में असफल करने का आदेश विधि विरूद्व व नियमो, शर्तों को ताक में रख कर दिया है।

चेक लिस्ट के अनुसार अपीलांट के दस्तावेज पूर्ण थे लेकिन मारूति इण्डस्ट्रीज को नाजायज रूप से फायदा पहुँचाने के लिए अपीलांट व अन्य फर्मों के आवेदन खारिज कर दिये और आवेदन खारिज करने वालों में अपीलांट के अलावा मैसर्स पूनिया कैयरिंग कॉर्पोरेशन तलवाड़ा हाउस गंगानगर रोड़, बिछवाल, बीकानेर जिला बीकानेर, राज0 व मैसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज झुन्झुनू है। मैसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज झुन्झूनू व मारूति इण्डस्ट्री के मालिक दोनो आपस में पति पत्नी ही है। जिससे मारुति इण्डस्ट्रीज को लाभ पहुँचाने के लिए अपीलांट फर्म व मैसर्स मैसर्स पूनिया कैयरिंग कॉर्पोरेशन तलवाड़ा हाउस गंगानगर रोड़, बिछवाल, बीकानेर जिला बीकानेर, राज0 को तकनीकी बीड में बिना कारण बताये व नोटिस दिये असफल होने का आदेश जारी कर दिया जो अनुचित व अवैध है।



कलक्टर नागौर

मैसर्स मारूति इण्डस्ट्रीज झुन्झनू व भास्कर इण्डस्ट्रीज झुन्झुनू सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, उसकी पत्नी मीना देवी द्वारा संचालित की जा रही है और फूड कॉर्पोरेशन व उपापन समिति को पी. डी. एस. परिवहन के टेण्डर के लिए धोखा दे रहे है। पिछले वर्षो में भास्कर इण्डस्ट्रीज को एफ.आई.टी. घोषित करके टेण्डर आवंटित किया जा रहा है इस वर्ष उक्त निविदा में मारूति इण्डस्ट्रीज को एफ.आई.टी. घोषित टेण्डर आवंटित करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि निविदा में चार फर्मो ने हिस्सा लिया था, एक फर्म अपीलांट की व एक फर्म मैसर्स पूनिया कैयरिंग कॉर्पोरेशन तलवाड़ा हाउस गंगानगर रोड़, बिछवाल, बीकानेर जिला बीकानेर, राज0 है इन दोनों को तकनीकी बोली में अवैध रूप से असफल घोषित कर दिया व तीसरी फर्म मारूति इण्डस्ट्रीज की प्रोपराईटर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल की पत्नी की फर्म भास्कर इण्डस्ट्रीज को भी दिखावटी रूप से तकनीकी बोली से बाहर कर वित्तीय बोली के लिए एक ही फर्म को रखा है। उक्त निविदा में एक फर्म रहती है तो निविदा निरस्त की जाती है जबकि उपापन समिति द्वारा मारूति इण्डस्ट्रीज के मालिक को फायदा पहुँचाने के लिए अपीलांट की फर्म को विधि विरूद्व व गलत तरीके से तकनीकी बीड में असफल घोषित किया है।

जिला रसद अधिकारी अजमेर ने मारूति इण्डस्ट्रीज को वर्ष 2021 में गेहूँ का घोटाला करते हुऐ मौके पर पकड़ा था, उस समय श्री सुनिल शर्मा वहां के कार्यवाहक प्रबंधक थे, जिला रसद अधिकारी अजमेर ने इसको प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का आदेश दिया था, फिर रामगंज थाना अजमेर में एफ.आई.आर. नं. 274/2021 श्री सुनिल शर्मा द्वारा दर्ज करवाई गयी थी, जिसकी प्रति साथ पेश है। श्री सुनिल शर्मा अभी नागौर में प्रबंधक के तौर पर कार्यरत है तथा उपापन समिति में सचिव है इनको सारी जानकारी होते हुऐ भी मारूति इण्डस्ट्रीज को बीड में शामिल कर लिया तथा टेण्डर की शर्तों का उल्लंघन किया। वर्ष 2021 में एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भीलवाड़ा प्रबंधक ने मारूति इण्डस्ट्रीज को इसी आधार पर टेण्ड रप्रक्रिया से बाहर किया था, जिसकी प्रति साथ पेश है। जिससे प्रतित होता है कि श्री सुनिल शर्मा प्रबंधक, सचिव उपापन समिति नागौर की मारूति इण्डस्ट्रीज से सांठगांठ रही है। मारुति इण्डस्ट्रीज द्वारा टेण्डर में प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र भी बीड की शर्तो के मुताबिक नहीं है जिसकी प्रति भी साथ पेश है। अतः यह प्राथमिक जांच में ही खारिज होना चाहिए था जो कि उपापन समिति के सचिव ने मारूति इण्डस्ट्रीज वालो से सांठगांठ करके मारूति इण्डस्ट्रीज को गलत रूप से तकनीकी बीड में शामिल किया है।

मैसर्स मारूति इण्डस्ट्रीज द्वारा तकनीकी बीड में प्रस्तुत दस्तावेज में एडिशल सीट फोर व्हीकल डिटेल में हस्ताक्षर नहीं किये है जिसकी प्रति भी साथ पेश है। फिर भी उपापन समिति ने इस फर्म को लाभ पहुँचाने के लिए अपीलांट फर्म को गलत ढंग से बाहर किया है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 के अनुसार तकनीकी बोली दिनांक 8.12.2022 को खोली गयी थी और अपीलांट फर्म को इप्रोक पर अपलोड किया गया जो नियमो के विपरीत है।

मैसर्स मारुति इण्डस्ट्रीज को वित्तीय बोली में भाग लेने के लिए एफ.आई.टी घोषित किया है व अपीलांट फर्म योग्य व पात्र होते हुऐ भी उसको असफल कर बाहर कर दिया है। मैसर्स मारुति इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनू व मन्जु पत्नी नरपतराम के मध्य किरायानामा दिनांक 9.11.2022 का जो निष्पादित हुआ है वह जीएसटी प्रयोजन के लिए है न कि पी.डी.एस. के गोदाम के लिए है जो उक्त निविदा के लिए योग्य नहीं है जिसकी प्रति साथ पेश है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त फर्म निविदा के लिए योग्य नहीं होते हुऐ भी उसे वित्तीय बोली में गलत रूप से शामिल किया जा रहा है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट फर्म को असफल कर बाहर करने के आदेश को अपास्त/निरस्त/संशोधित कर उक्त निविदा में योग्य व पात्र होने तथा सभी शर्ते पुरी करने के कारण अपीलांट फर्म को वित्तीय बोली में शामिल करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।



कलक्टर नागौर

रेस्पोडेन्ट श्री सुनील शर्मा प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति विभाग नागौर ने अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट फर्म द्वारा उक्त निविदा में ऑनलाईन भाग लिया गया,परंतु यह कथन सही नहीं है कि सभी दस्तावेज पोर्टल पर जमा करा दिए गए थे। जिला उपापन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत दस्तावेजों में कमी रहने अथवा प्रस्तुत दस्तावेज सही नहीं होने के क्रम में अपीलांट फर्म को तकनीकी रूप से सफल नहीं पाया गया। अतः अपीलांट फर्म का यह कथन कि उनके द्वारा निविदा में चाहे गए समस्त दस्तावेजोंको प्रस्तुत किया था, वह सभी नियम व शर्तों को पूरा किया था, सही नहीं है। इससंबंध में उपापन समिति के द्वारा कार्यवाही अथवा कार्यालय टिप्पणी की प्रति अनुलगनात्मक (1) के रूप में हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत जबाब के संलग्न है।

आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के उपबंधों के अधीन विभाग द्वारा गठित की गई जिला उपापन समिति द्वारा उक्त निविदा में ऑनलाईन प्राप्त निविदा का आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत निविदा शर्तों के अध्यधीन तकनीकी मूल्यांकन किया जाकर पूर्णपारदर्शी तरीके से सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है।

अपीलांट द्वारा कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय मे मैसर्स मारुति इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू एवं भास्कर इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती मीना देवी को ई–निविदा से वंचित रखने हेतु जिस प्रकार आरोप लगाए गए हैं, उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए था, जिससे कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रभावित होने वाले संबंधित को अपना पक्ष रखे जाने हेतु समुचित अवसर प्राप्त हो सके।

अपीलांट द्वारा मारुति इण्डस्ट्रीज के ऊपर आरोप लगाये गये हैं, परंतु उक्त फर्म को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अपीलांट फर्म द्वारा श्री सुनील शर्मा प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, नागौर (सदस्य सचिव, जिला उपापन समिति) पर व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं, जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के उपबंध 43 के अन्तर्गत तंग करने वाली श्रेणी में आता है तथा दण्डनीय है। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म को कार्यालय पत्र द्वारा पूर्व में सूचित भी किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये हैं तथा उक्त फर्म मारुति इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध FIR संख्या 274/2021 में माननीय CJM न्यायालय अजमेर में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी है।

जिला उपापन समिति द्वाराफर्म द्वारा निविदा में चाहे गये वाहनों से सम्बन्धित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही तकनीकी मूल्यांकन किया गया है। जिला उपापन समिति द्वारा निविदा हेतु फर्मों द्वारा ऑनलाइनबिड में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही तकनीकी मूल्यांकन किया गया तथा RTPP एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत तकनीकी मूल्यांकन में मैसर्स मारुति इण्डस्ट्रीज को सफल पाया तथा अपीलान्ट फर्म की निविदा में चाहे गये दस्तावेजों में कमियां रहने के कारण जिला उपापन समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी रूप से असफल माना है। (अनुलग्नक–1) निविदा की शर्त 1 (VII) के अनुरूप मैसर्स मारूति इण्डस्ट्रीज द्वारा मन्जू पत्नी श्री नरपत राम के मध्य दिनांक 09.11.2022 का किरायानामा निष्पादित हुआ है जो PDS कार्य हेतु गोदाम के लिए हुआ है तथा इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है, संलग्न–(अनुलग्नक–5 Affidavit– 100/–page–136)। अपीलान्ट द्वारा निविदा की शर्ते पूरी नहीं करने पर योग्य व पात्र नहीं पाये जाने का निर्णय RTPP Act- 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत जिला उपापन समिति के द्वारा लिया गया है, जो सही होने का कथन करते हुए अपीलान्ट फर्म को जिला उपापन समिति के निर्णयानुसार तकनीकी रूप से असफल होने के कारण यथावत रखी जाने तथा अपील को सारहीन होने के कारण खारिज करने एवं अपील के बिन्दु संख्या 7(4) में अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत आरोप तंग करने के दृष्टिगत लगाये गये है जो कि RTPP Act- 2012 की धारा 43 के अन्तर्गत दण्डनीय होने से धारा 43 में निहित जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया है।



कलक्टर नागौर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट फर्म द्वारा खाद्यान्न परिवहन के लिए उक्त ऑनलाईन निविदा में भाग लिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कार्यालय टिप्पणी के अनुसार बिड फार्म में बिडर के हस्ताक्षर मय मोहर, नाम, पद निर्धारित स्थान पर नहीं पाये गये। बिडदाता फर्म द्वारा निविदा की सामान्य नियम एवं शर्तों के बिन्दु संख्या 01(iv) के अनुसार प्रस्तुत अतिरिक्त वाहनों की संख्या–05 हेतु संबंधित वाहन मालिक का मुख्त्यारनामा या अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना था, जो कि नियमानुसार 500/–रूपये के स्टॉम्प पर प्रस्तुत किया जाना था। बिडदाता द्वारा उक्त शपथ पत्र 100/–रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र खरीद परिवहन कार्य हेतु प्रस्तुत किया है, जबकि निविदा के अनुसार पीडीएस परिवहन कार्य हतु 500/–रूपये के स्टाम्प पर मुख्त्यारनामा या अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना था। बिडदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निविदा के अनुरूप पाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त शर्त के अन्तर्गत निविदा दाता फर्म द्वारा अतिरिक्त वाहनों के संबंध में निविदा में वर्णित शर्त के अनुसार 500/–रूपये के स्टाम्प पर अतिरिक्त शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 59(2)(क) के अनुसार विचलन एवं 59(2)(ख) के अनुसार लोप पाया गया। फर्म द्वारा कार्यशील पूंजी के संबंध में 30लाख रूपये से अधिक होना शपथ पत्र में प्रस्तुत किया गया तथा बेलेंसशीट एवं अकाउण्ट स्टेटमेन्ट प्रति संलग्न होना प्रस्तुत किया। बिड की शर्त सिंख्या 40 बिड की विशेष शर्तें एवं निर्देश के बिन्दु संख्या 10(अ) के अनुसार बिडदाता द्वारा 40लाख रूपये कार्यशील पूंजी होना संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना था। फर्म द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र निविदा के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त फर्म के वित्तीय आंकलन के लिए प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट का अवलोकन करने पर एक्सिस बैंक द्वारा फर्म से न्यूनतम शेष उपलब्ध नहीं होने के कारण 12.2.2022 एवं 14.5.2022 को मंथली एवरेज बैलेंस चार्जेज वसूल किया जाना प्रदर्शित किया गया, जबकि फर्म द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट में दिनांक 1.1.22 से 10.2.22 के स्टेटमेन्ट के उपरान्त 30.9.22 के बाद का स्टेटमेन्ट बिड में प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त अवधि के मध्य का बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट में अन्तिम बैलेंस भी 146477.59 रूपये है। जिससे फर्म की निविदा में निर्धारित आवश्यक कार्यशील पूंजी की पुष्टि नहीं हुई, जो राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 59(2)(क) के अनुसार विचलन प्रदर्शित होता है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा निविदा शर्तो एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम एवं अधिनियम में निविदा के प्रस्तुत करने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रावधान स्पष्ट होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्तानुसार नियम एवं निविदा शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर अर्थात अपीलान्ट फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के जॉच मूल्यांकन में कमियां पाई जाने के कारण जिला उपापन समिति द्वारा अपीलान्ट फर्म तकनीकी रूप से असफल होने का आदेश पारित किया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्तानुसार नियम एवं निविदा शर्तों आदि की पूर्ण पालना करने एवं समुचित दस्तावेज विधि की मंशा अनुसार प्रस्तुत करने के संबंध में तथ्यात्मक एवं प्रमाणिक कथन भी हस्तगत अपील में नहीं किये है, और न ही उक्त संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसलिए जिला उपापन समिति द्वारा अपीलान्ट फर्म को तकनीकी रूप से असफल होने का आदेश पारित किया है, जो उचित है।

अपीलांट द्वारा मैसर्स मारुति इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू एवं भास्कर इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती मीना देवी को ई–निविदा से वंचित रखने हेतु जिस प्रकार से हस्तगत अपील में आरोप लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को मैसर्स मारुति इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू एवं भास्कर इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती मीना देवी को हस्तगत अपील में आवश्यक पक्षकार होने से रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, ताकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रभावित होने वाले संबंधित को अपना पक्ष रखे जाने हेतु समुचित अवसर प्राप्त हो सके। परन्तु अपीलान्ट द्वारा मैसर्स मारुति इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू एवं भास्कर इण्डस्ट्रीज, झुंझुंनू द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं



कलक्टर नागौर

श्रीमती मीना देवी को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा इनके विरूद्ध अपील में किये गये कथन स्वीकार्य नहीं है।

प्रकरण में निविदा की शर्त 1(VII) के अनुरूप मैसर्स मारूति इण्डस्ट्रीज द्वारा मन्जू पत्नी श्री नरपत राम के मध्य दिनांक 09.11.2022 का किरायानामा निष्पादित हुआ है जो PDS कार्य हेतु गोदाम के लिए हुआ है तथा इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है, जो सही है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मारुति इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध FIR होने बाबत अपील में जिस प्रकार से कथन उक्त संबंध में उक्त फर्म मारुति इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध FIR संख्या 274/2021 में माननीय CJM न्यायालय अजमेर में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कथन स्वीकार्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर